

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0
(समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता)

सत्र प्रकरण क्रमांक 247/2016

संस्थापन दिनांक 30.07.2016

| | |
|---|----------------|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड (म0प्र0) | अभियोगी |
|---|----------------|

॥ वि रु द्ध ॥

| | |
|--|-----------------|
| प्रताप जाटव पुत्र गब्बर जाटव, आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम सर्वा का पुरा, थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड (म0प्र0) | अभियुक्त |
|--|-----------------|

| |
|--|
| राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अभियुक्त की ओर से श्री एम0एल0 मुद्गल अभिभाषक। |
|--|

| |
|--|
| यह सत्र प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री ए0के0 गुप्ता) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 700392/16 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 27.07.16 से उद्भूत। |
|--|

// निर्णय //

(आज दिनांक 14.02.2018 को घोषित)

01. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294 व 506-बी एवं 326 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप हैं कि उसने दिनांक 09.03.16 को दिन के करीब 13:00 बजे, स्थान अपने घर के सामने, सर्वा का पुरा थाना गोहद चौराहा में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुये फरियादी रामरतन को क्षोभ कारित किया व उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं घातक आयुध त्रिशूल से फरियादी रामरतन की मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.03.16 को दिन के करीब 13:00 बजे अभियुक्त प्रताप के घर के सामने, सर्वा का पुरा थाना गोहद चौराहा में पहुंचकर फरियादी रामरतन द्वारा अभियुक्त प्रताप से अपने उधारी के पैसे वापस मांगने पर अभियुक्त प्रताप ने उसे मादरचोद बहनचोद की गालियां दी एवं लोहे का त्रिशूल मारा जो फरियादी के बायें हाथ की तीन

उंगलियों व कोंहचा में लगने से खून आलूदा चोटें कारित हुई। मौके पर उपस्थित साक्षीगण राजकुमार व हुकुम सिंह ने घटना देखी एवं बीच बचाव किया, तभी अभियुक्त ने फरियादी को भविष्य में पैसे मांगने पर जान से खत्म कर देने की धमकी दी। उक्त घटना के पश्चात् थाना गोहद चौराहा में उपस्थित होकर फरियादी रामरतन द्वारा प्र0पी0-2 के अनुसार मौखिक रिपोर्ट लिखाये जाने पर अभियुक्त प्रताप सिंह के विरुद्ध धारा 323, 294 व 506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 57/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आहत रामरतन का प्र0पी0-8 व प्र0पी0-9 के अनुसार सी0एच0सी0 गोहद में मेडीकल परीक्षण कराया गया।

03. विवेचना के दौरान दिनांक 11.03.16 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-7 बनाया गया तथा साक्षीगण राजकुमार, रामरतन व हुकुम सिंह के बताये अनुसार क्रमशः प्र0पी0-1, प्र0पी0-3 व प्र0डी0-1 के कथन लेखबद्ध किये गये। दिनांक 27.05.16 को अभियुक्त प्रताप को प्र0पी0-4 अनुसार गिरफ्तार कर पूछताछ किये जाने के दौरान अभियुक्त द्वारा सूचना मेमो प्र0पी0-6 के अनुसार किये गये प्रकटीकरण के आधार पर जप्ती पत्रक प्र0पी0-5 के अनुसार एक त्रिशूल लोहे का जप्त किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र कमिटल न्यायालय में धारा 323, 294, 506, 324 व 326 भा.दं.सं. के तहत प्रस्तुत किया गया। मामला अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को उपार्पण आदेश दिनांक 27.07.16 के अनुसार उपार्पित किये जाने पर यह सत्र प्रकरण विचारण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

04. अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 व 506-बी तथा 326 का अपराध घटित करना पाये जाने से उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षीगण हुकुम सिंह (अ.सा.1), राजकुमार (अ.सा.2), रामरतन (अ.सा.3), संजय (अ.सा.4), भूरे (अ.सा.5), रामकुमार पाठक (अ.सा.6), सुरेशदत्त मिश्रा (अ.सा.7) तथा डॉ० हरेंद्र सिंह (अ.सा.8) का परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात् द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने अपने-आप को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

| | |
|------------|---|
| 01. | क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.03.16 को दिन के करीब 13:00 बजे, स्थान अपने घर के सामने, सर्वा का पुरा थाना गोहद चौराहा में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुये फरियादी रामरतन को क्षोभ कारित किया ? |
|------------|---|

| | |
|-----|--|
| 02. | क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामरतन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ? |
| 03. | क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर घातक आयुध त्रिशूल से फरियादी रामरतन की मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ? |
| 04. | दण्डादेश यदि कोई हो तो ? |

।। साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ।।

विचारणीय प्रश्न कमांक-3

06. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि अभियोजन के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुकुम सिंह अ0सा0-1 का अपने न्यायालयीन कथनों में उभयपक्ष को जानते हुये कहना है कि कथन दिनांक 11.04.17 से करीब एक साल पूर्व दिन के करीब साढ़े बारह बजे उसके सामने पड़ौस में अभियुक्त प्रताप तथा फरियादी रामरतन के बीच आपस में झगड़ा व मुंहबाद हो रहा था, तभी अभियुक्त प्रताप त्रिशूल लेकर आया था और उसने फरियादी रामरतन को त्रिशूल मारा था जो उसके बायें हाथ की उंगलियों में लगने से टांके आये थे। उसके बाद 100 नंबर गाड़ी को फोन करने पर मौके पर आकर पुलिस आहत रामरतन को अस्पताल ले गई थी एवं पुलिस ने उसका बयान लिया था, लेकिन अभियुक्त द्वारा फरियादी को घातक आयुध त्रिशूल मारकर खून आलूदा चोट पहुंचाये जाने संबंधी उक्त कथनों की रंचमात्र भी पुष्टि अभियोजन के अनुसार अन्य प्रत्यक्षदर्शी राजकुमार अ0सा0-2 एवं फरियादी/आहत रामरतन अ0सा0-3 के कथनों से होना नहीं पाई जाती है।

07. अभियोजन के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी राजकुमार अ0सा0-2 का अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के अनुसार ऐसा कदापि कहना नहीं है कि प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त प्रताप ने फरियादी रामरतन को घातक आयुध त्रिशूल मारकर उसे चोटें पहुंचाई थीं, बल्कि उक्त साक्षी का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि उसके सामने कुछ नहीं हुआ था और उसने तो बाद में किसी से सुना था कि अभियुक्त प्रताप और फरियादी रामरतन में आपस में झगड़ा हो गया है एवं झगड़ा किस बात पर हुआ है उसे जानकारी नहीं है तथा पुलिस को उसने कोई कथन नहीं दिया था।

08. इसी प्रकार मामले में स्वयं फरियादी/आहत रामरतन अ0सा0-3 का भी अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के अनुसार ऐसा कदापि कहना नहीं है कि अभियुक्त प्रताप ने प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर उसे घातक आयुध त्रिशूल मारा था, बल्कि अभियुक्त प्रताप को जानते हुये उक्त साक्षी/आहत रामरतन अ0सा0-3 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त से उधारी के पैसे मांगने पर से अभियुक्त प्रताप से उसकी धक्का-मुक्की व झगड़ा होने लगा था, जिससे वह गिर गया था और उसके पोंहचे व उंगलियों में चोट आ जाने से खून निकलने लगा था।

09. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त दोनों साक्षीगण राजकुमार अ0सा0-2 व रामरतन अ0सा0-3 से विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा फरियादी को घातक आयुध त्रिशूल मारकर चोट पहुंचाये जाने के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त संबंध में अपर लोक अभियोजक द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को उक्त दोनों साक्षीगण ने दृढ़तापूर्वक गलत होना बताते हुये पुलिस को क्रमशः प्र0पी0-1 व प्र0पी0-3 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है तथा फरियादी/आहत रामरतन अ0सा0-3 ने प्र0पी0-2 के अनुसार पुलिस को रिपोर्ट लिखाये जाने से इंकार किया है।

10. इस प्रकार अभिलेख पर विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जहां एक ओर मूल साक्ष्य का अभाव होना पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर अभियोजन के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी हुकुम सिंह अ0सा0-1 के उक्त कथन अनुसमर्थनकारी स्वरूप भर के होना पाये जाने से मूल साक्ष्य के अभाव में उक्त साक्षी के कथन मात्र के आधार पर मामले में अभियुक्त प्रताप की विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में दोषसिद्धी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में मामले में शेष औपचारिक साक्षीगण संजय अ0सा0-4, भूरे अ0सा0-5 एवं ए0एस0आई0 राजकुमार अ0सा0-6, जो कि सभी गिरफ्तारी, सूचना मेमो व जप्ती से संबंधित साक्षीगण हैं, एवं विवेचक सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0-7 व मेडीकल विशेषज्ञ डॉ0 हरेंद्र सिंह अ0सा0-8 के कथनों की विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में विषद विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है, क्योंकि सूचना मेमो व जप्ती के साक्षी ए0एस0आई0 राजकुमार अ0सा0-6 के कथनों से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में अधिकतम अभियुक्त के कब्जे से त्रिशूल जप्त होना साबित किया जा सकता है। इसी प्रकार मेडीकल विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र सिंह के कथनों से घटना दिनांक को आहत रामरतन के शरीर पर धारदार वस्तु से कारित गंभीर प्रकृति की चोट पाई जाना साबित किया जा सकता है, लेकिन उक्त चोट को त्रिशूल मारकर अभियुक्त प्रताप द्वारा पहुंचाये जाने के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर मूल साक्ष्य के अभाव होने से उक्त औपचारिक साक्षीगण के कथन

मात्र के आधार पर निष्कर्ष अवधारित नहीं किया जा सकता है।

11. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर महत्वपूर्ण मूल साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना, दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामरतन की घातक आयुध त्रिशूल से मारपीट कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2

12. अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

13. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा फरियादी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ पहुंचाये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में अभिलेख पर महत्वपूर्ण साक्ष्य का अभाव है, क्योंकि उक्त संबंध में स्वयं फरियादी/आहत रामरतन अ0सा0-3 सहित अभियोजन के अनुसार दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हुकुम सिंह अ0सा0-1 व राजकुमार अ0सा0-2 ने अपने न्यायालयीन कथनों में कुछ भी प्रकट नहीं किया है तथा अभियोजन की ओर से उक्त तीनों साक्षीगण से अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही हो जाना बताते हुये सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को उक्त सभी साक्षीगण ने दृढ़तापूर्वक गलत होना बताया है तथा मामले में अन्य सभी साक्षीगण संजय अ0सा0-4, भूरे अ0सा0-5, ए0एस0आई0 रामकुमार पाठक अ0सा0-6, विवेचक ए0एस0आई0 सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0-7 एवं डॉ0 हरेंद्र सिंह अ0सा0-8 औपचारिक स्वरूप के साक्षी हैं।

14. अतः विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना दिनांक समय व स्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हुये फरियादी रामरतन को क्षोभ कारित किया एवं संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

15. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का यह मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने से अभियुक्त प्रताप सिंह को धारा 294, 506-बी एवं 326 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपी जमानत पर हैं, उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त हों।

17. प्रकरण में जप्तशुदा त्रिशूल अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे।

18. अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

19. निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड की ओर अपर लोक अभियोजक के माध्यम से भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड